Ref. Ares(2023)2499515 - 06/04/2023

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244906
CG-DL-E-03042023-244906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1508] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 2023/चैत्र 11, 1945
No. 1508] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 2023/CHAITRA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 64 /2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 29 के तहत आयात नीतिगत शर्त में सशोधन।

का.आ. 1586(अ).—जबकि, प्राधिकृत अधिकारी अर्थात डीजीटीआर ने अपने अंतिम जांच–परिणाम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड–I में प्रकाशित दिनांक 30.09.2021 की अधिसूचना सं. 22/6/2019–डीजीटीआर द्वारा सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली 2012 के तहत सुरक्षा जांच के परिणामस्वरुप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) के आयात पर देश–वार मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने हेतु एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 9क (1) के अनुसार सिफारिश की थी।

2. तदनुसार, समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3, धारा 5 और धारा 9 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार डीजीटीआर की दिनांक 30.09.2021 की उपर्युक्त अधिसूचना पर विचार करने के बाद एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 29 में क्रम सं. 6 पर नई नीतिगत शर्त को शामिल करके निम्नलिखित संशोधन करती है:–

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नई नीतिगत भार्त
29051220	आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए)	मुक्त	**नीतिगत भार्त सं. (6)** आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) का आयात केवल एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 01.04.2023 से लागू 2023–24 हेतु देश–वार मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) के अधीन अनुमत होगा, जब तक अन्यथा अधिसूचित न हो, **बशर्ते कि डीजीएफटी**

			द्वारा वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया गया हो।

3. आईपीए के आयात हेतु देश–वार मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) निम्नानुसार हैः

देश	मात्रात्मक प्रतिबंध (एम टी में)			
वित्तीय वर्ष	2023-24			
तिमाही→	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी
चीन लोक गणराज्य	9,924	9,924	10,526	10,526
जर्मनी	2,116	2,116	2,244	2,244
जापान	1,496	1,496	1,587	1,587
कोरिया गणराज्य	6,290	6,290	6,672	6,672
नीदरलैंड	2,421	2,421	2,568	2,568
सिंगापुर	2,668	2,668	2,830	2,830
ताइवान	4,296	4,296	4,557	4,557
संयुक्त राज्य अमेरिका	2,214	2,214	2,348	2,348
अन्य देश	710	710	753	753
कुल योग	**32,134**	**32,134**	**34,085**	**34,085**

4. आईपीए के आयात हेतु मात्रात्मक प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगेः–

(i) क्यूआर की इलेक्ट्रॉनिक/रियल टाइम निगरानी की सुविधा हेतु आयात केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से अनुमत होगा।

(ii) क्यूआर की तिमाही आधार पर निगरानी की जाएगी।

(iii) किसी तिमाही में अनुमत कुल आयात उस तिमाही और अगली तिमाही के कुल से अधिक नहीं होगा। तदनुसार एक तिमाही हेतु कोई अत्यधिक रुप से प्रयुक्त क्यूआर की अगली तिमाही से कटौती की जाएगी।

(iv) एक तिमाही में किसी अप्रयुक्त क्यूआर को अगली तिमाही में जोड़ा जाएगा।

(v) यदि विशिष्ट मात्रा वाले देश उनको आबंटित क्यूआर का उपयोग कर लेते हैं, जैसा कि बाद में अधिसूचित किया जाए ऐसे देश उपलब्ध शेष मात्रा का उपयोग कर सकते हैं तथा

(vi) यदि आवश्यक हो संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसे क्यू आर को अभिशासित करने वाले आगे के तौर तरीकों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

5. देश–वार मात्रात्मक प्रतिबंध केवल एक वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी होंगे तथा दिनांक 31.03.2024 को स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, केन्द्र सरकार किसी भी समय उक्त सुरक्षा–उपायों की समीक्षा करने तथा इनमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जैसा वह ठीक समझे।

6. अधिसूचना का प्रभावः

अधिसूचना सं. 22/6/2019–डीजीटीआर दिनांक 30.09.2021 के तहत प्राधिकृत अधिकारी अर्थात डीजीटीआर के अंतिम जांच–परिणामों के आधार पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) के आयात पर देश वार मात्रात्मक प्रतिबंधों को एक वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावी वर्ष 2023–24 की अवधि हेतु अधिसूचित किया गया है। तथापि, केन्द्र सरकार किसी भी समय पर नीति की समीक्षा तथा कोई परिवर्तन कर सकती है, जैसा वह ठीक समझे।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध–3/एएम–04/पीसी–2(क)/ई–1877]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 64 /2015-2020

Subject: Amendment in Import Policy Condition under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy)

S.O. 1586(E).—Whereas, the Authorized Officer i.e., DGTR in its final findings, vide Notification No. No. 22/6/2019-DGTR dated 30.09.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had recommended in terms of Section 9A(1) of the FTDR Act, 1992, to impose country-wise quantitative restrictions on import of 'Isopropyl alcohol' (IPA) following a safeguard investigation under the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.

2. Accordingly, in exercise of powers conferred by Section 3, Section 5 and Section 9A of FTDR Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government after considering the aforesaid Notification dated 30.09.2021 of DGTR, hereby makes the following amendments by inserting a new Policy Condition at Sl. No. 6 in Chapter 29 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy) :-

Exim Code	Item Description	Policy	New Policy condition
29051220	Isopropyl alcohol (IPA)	Free	**Policy Condition No. (6)** Import of Isopropyl alcohol (IPA) shall be allowed subject to country-wise quantitative restriction **(QR) for a period of one year only** i.e., 2023-24 effective from 01.04.2023, unless notified otherwise **subject to a valid Registration Certificate(RC) issued by the DGFT**.

3. The country-wise quantitative restriction (QR) for import of IPA are as under:

Country ↓	**Quantitative Restriction (in MT)**			
Financial Year →	**2023-24**			
Quarter →	**1st**	**2nd**	**3rd**	**4th**
China PR	9,924	9,924	10,526	10,526
Germany	2,116	2,116	2,244	2,244
Japan	1,496	1,496	1,587	1,587
Korea RP	6,290	6,290	6,672	6,672
Netherland	2,421	2,421	2,568	2,568
Singapore	2,668	2,668	2,830	2,830
Taiwan	4,296	4,296	4,557	4,557
USA	2,214	2,214	2,348	2,348
Other Countries	710	710	753	753
Grand Total	**32,134**	**32,134**	**34,085**	**34,085**

4. The quantitative restrictions for import of IPA shall be subject to the following conditions :

(i) Imports would be permitted through the EDI ports only to facilitate electronic/ real-time monitoring of QR;
(ii) The QR would be monitored on quarterly basis;
(iii) The total imports allowed in any quarter shall not exceed the total of that quarter and the next quarter. Accordingly, any excessively utilised QR for a quarter shall be deducted from the QR for the next quarter;
(iv) Any unutilised QR for a quarter shall be added to next quarter;
(v) In case, the countries with specific quantity exhaust their allocated QR, such countries may use the available residual quantity, as may be notified subsequently; and
(vi) If necessary, further modalities will be notified separately governing such QR, in accordance with relevant legal provisions.

5. The country-wise quantitative restrictions shall be effective for a period of one year only and will cease automatically on 31.03.2024. Further, the Central Government reserves the right to review and make any changes in the said safeguard measures at any point of time, as deemed fit.

6. Effect of the Notification:

Based on the final findings of the Authorized Officer i.e., DGTR, vide Notification No. 22/6/2019-DGTR dated 30.09.2021, country-wise Quantitative Restrictions(QR) on import of Isopropyl Alcohol (IPA) have been notified for a period of one year i.e. 2023-24, effective from 01.04.2023 upto 31.03.2024. The Central Government may, however, review the policy and make any changes at any point of time, as deemed fit.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-3/AM-04/PC-2[A]/E-1877]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA